

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, 30प्र०/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2024

विषय- 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" के दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दुग्ध आयुक्त/मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पत्रांक- 117/एस०पी०एम०यू०/मु०स्व०गौ०यो०(28)/2024-25, दिनांक 08 अक्टूबर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दुग्ध विकास अनुभाग-2, 30प्र० शासन के शासनादेश संख्या- 811/53-2-2023, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-4, 9 एवं 10 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजना के स्वरूप का विस्तार किये जाने एवं क्रय प्रक्रिया को सरल व व्यावहारिक बनाये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" के दिशा-निर्देश में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
4.	योजना का स्वरूप:- (i) यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से लागू होगी। प्रथम चरण में 18 मण्डल मुख्यालय के जनपदों में लागू होगी। (ix) क्रय की गयी समस्त गायों का 03 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक के द्वारा इकाई स्थापना के स्थान तक गायों को लाये जाने हेतु ट्रांजिट बीमा भी कराया जाना अनिवार्य होगा।	योजना का स्वरूप:- (i) प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह योजना प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय जनपदों में लागू की गयी है। द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह योजना 18 मण्डल मुख्यालय जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के शेष 57 जनपदों में लागू होगी। (ix) क्रय की गयी समस्त गायों का 03 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना अनिवार्य होगा। क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक द्वारा इकाई स्थापित करने के स्थान तक गाय को लाये जाने हेतु पशु ट्रांजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा।
9.	क्रय प्रक्रिया:- (i) चयन पत्र प्राप्ति के बाद लाभार्थी द्वारा 02 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा अथवा थारपारकर गाय का क्रय किया जायेगा।	क्रय प्रक्रिया:- (i) चयन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त लाभार्थी को 02 माह में गाय क्रय करने की अनिवार्यता नहीं होगी। लाभार्थी द्वारा गाय का क्रय यथाशीघ्र करते हुए अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
10.	--	(iii) क- जिन जनपदों में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तैनात नहीं हैं, उन जनपदों में योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

विषयगत शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Signed by

"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"

Date: 22-10-2024 21:18:14

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव।

संख्या-895(1)/53-2-2024, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।